UPMZ010075152026

न्यायालय Addl.Distt and Sess. Judge Court No-4/Special Judge (E.C. Act), Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (Anurag Panwar), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02638

जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–2981/2026

सोमित उर्फ शोमित उर्फ सुमित पुत्र ऋषिपाल, निवासी–ग्राम भलवा, थाना–जानसठ, जिला–मुजफ्फरनगर।

... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य ... विपक्षी

मु0अ0सं0–248/2019, वाद सं०–2286/2019, अन्तर्गत धारा–138(1)(बी) विद्युत अधिनियम, थाना–जानसठ, जिला–मुजफ्फरनगर के मामले में आवेदक सोमित उर्फ शोमित उर्फ सुमित की ओर से यह द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में प्रार्थना–पत्र में आधार लिये गये हैं कि अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है तथा झूठा फंसाया गया है। विद्युत विभाग का जो भी बकाया होगा, उसे जमा कर देगा। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गयी है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। जिनके द्वारा प्रार्थना–पत्र के आधारों को दोहराते हुए कहा गया कि आवेदक/अभियुक्त दिनांक 31–05–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। न्यायालय की संतुष्टि के लिए जमानत देने को तैयार है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

उक्त के विरोध में विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में दी गयी जमानत का दुरूपयोग किया गया है। अतः अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम) के तर्कों को सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों/पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

Digitally signed by ANURAG PANWAR
Date: 2026.06.17 17:33:32 IST
Reason: Bail Order
Location: A.S.J. Court No.4/Spl. Judge (E.C. Act), Mzn

आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि उसके द्वारा न्यायालय द्वारा पूर्व में दी गयी जमानत का दुरूपयोग किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। प्रार्थी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्युत विभाग का जो भी बकाया होगा उसे जमा कर देगा। अभियुक्त दिनांक 31–05–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त/आवेदक को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त पाती है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त सोमित उर्फ शोमित उर्फ सुमित पुत्र ऋषिपाल द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। उसके द्वारा मु0 25,000–25,000/– रूपये (पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये) की दो नवीन जमानतें व इतनी ही धनराशि के निजी बन्धपत्र दाखिल करने पर रिहा किया जाता है।

(अनुराग पंवार)
ID: UP 2638
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–4/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट),
मुजफ्फरनगर।

दिनांकः 17–06–2026